पत्र संख्या–11/वि02–पि0व0आ0–06/2005 सा0प्र0 3622

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।

पटना–15, दिनांक 10.3.16

विषय :– **बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–51 पर दर्ज 'वारी (BARI)' को संशोधित कर 'बारी (BARI)' करने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–13623 दिनांक–10.09.2015 द्वारा राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की सूची परिचारित की गई है। इस सूची के अनुसूची–1 के क्रमांक–51 पर 'वारी (BARI)' जाति दर्ज है।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–26 दिनांक–02.02.2016 द्वारा निम्नांकित परामर्श दिया गया है :–

"बिहार राज्य के अति पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–51 पर अंकित 'वारी' को सुधारकर 'बारी' कर दिया जाय।"

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम–12, 1993 की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछडे वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है। उक्त अधिनियम की धारा–9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

उक्त परामर्श के आलोक में निर्णय लिया गया है कि बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछडे वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–51 पर दर्ज 'वारी (BARI)' के स्थान पर 'बारी (BARI)' पढ़ा जाय।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम) 9.3.2016
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/वि02–पि0व0आ0–06/2005 सा0प्र0 3622 / पटना–15, दिनांक 10.3.16

प्रतिलिपि–बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9.3.2016
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/DHARMRAJ LETTER-2